



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28753

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1930/2026

सुनील कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राज कुमार प्रजापति

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार प्रजापति और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने कांस्टेबल पद के लिए सीधे आवेदन किया था, को प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफा दिया गया, जबकि पुलिस बल में कार्यरत और सब इंस्पेक्टर के रूप में सीधे चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान सब इंस्पेक्टर का वेतन दिया गया।
- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार प्रजापति ने तर्क दिया है कि ऐसे सब इंस्पेक्टरों के साथ किए गए भेदभाव का यह विवाद इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा आलोक कुमार सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में विशेष अपील संख्या 169/2020 में संबोधित किया गया था और 08.09.2021 को इसका निपटारा किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी, लेकिन यह असफल रही, क्योंकि विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 798/2022 को 04.02.2022 को तत्काल सुनवाई में खारिज कर दी गई थी। उन्होंने न्यायालय का ध्यान खंडपीठ के निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर की ओर आकर्षित किया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"परिपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती और सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। 1979 के परिपत्र के अनुच्छेद 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि कई उम्मीदवार सीधी भर्ती द्वारा उप-निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करते हैं और चयनित होने पर इस्तीफा दे देते हैं। यह स्पष्ट किया गया था कि इस्तीफा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर भेजा जाना चाहिए ताकि उन्हें अवकाश वेतन का लाभ मिल सके। 1979 के परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण की अवधि को कर्मचारी के खाते में उपलब्ध अवकाश की सीमा तक अवकाश के रूप में माना जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हालांकि, माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निर्णय अपेक्षित आधारों से भिन्न आधारों पर किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद ही उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन केवल इसी कारण से, 1965 के परिपत्र को, जैसा कि 1979 में स्पष्ट किया गया था, अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सर्वोच्च न्यायालय ने सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को समान लाभ देने का निर्देश दिया है, भले ही यह सीमित विभागीय परीक्षा से हुआ हो, लेकिन प्रतिवादियों ने सीधी भर्ती और सीमित विभागीय परीक्षा में कोई अंतर नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता अपीलकर्ताओं को 1965 और 1979 के परिपत्र का लाभ दिया जाना चाहिए था।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पहले ही इस मामले में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 से याचिका के साथ अभ्यावेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा चुका है और चाहता है कि इसे खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में निपटाया जाए, जिसकी विशेष अनुमति याचिका में पुष्टि की गई है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता खंडपीठ के फैसले के संबंध में दिए गए तर्क का जवाब नहीं दे सके, लेकिन इस अनुरोध पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि अभ्यावेदन पर विचार किया जाए और कानून के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाए।

6. उपरोक्त के मददेनजर, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाए गए शिकायत/दावे पर विचार करे और उपरोक्त उद्धृत फैसले को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार ही उसका निपटारा करे, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर।

7. यह कहना अनावश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार पारित किया जाने वाला आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

10 फरवरी, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”